

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
(दिनांक 30/5/23)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 175/2023

GCMS NO- _____

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.

उन्वान :- लालाराम बनाम राज0 सरकार

-:आदेश:-

दिनांक : 30/5/23

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का प्येरी कला के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	नावठा की टाणी	164	लालाराम पुत्र सुलतान सा. देह शर्मिला पत्नी अजीतसिंह सा. देह अजय कुमार पुत्र सरदारसिंह सा. देह गजेसिंह पुत्र सरदारसिंह सा. देह पीयूष पुत्र अजीतसिंह सा. देह विजयसिंह पुत्र सुलतानसिंह सा. देह दिमाशु पुत्र अजीतसिंह सा. देह	लालाराम पुत्र सुलतानसिंह सा. देह शर्मिला पत्नी अजीतसिंह सा. देह अजय कुमार पुत्र सरदारसिंह सा. देह गजेसिंह पुत्र सरदारसिंह सा. देह पीयूष पुत्र अजीतसिंह सा. देह विजयसिंह पुत्र सुलतानसिंह सा. देह दिमाशु पुत्र अजीतसिंह सा. देह



(सनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)

दिनांक :- 30/5/23

क्रमांक :- राजस्व/2023/23

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. संबंधित श्री लालाराम पुत्र सुलतानसिंह को सूचनाार्थ।

(सनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)